GOVERNMENT OF INDIA (Bharat Sarkar)
MINISTRY OF RAILWAYS (Rail Mantralya)
(RAILWAY BOARD)
****

No. 2011/TG-I/20/P/Tatkal New Delhi, dated 11 .11.2011

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.
(including Metro railway, Kolkata)

(COMMERCIAL CIRCULAR No. 59 of 2011)

Sub: Amendment in Tatkal scheme

The Tatkal scheme for reservation has been reviewed and it has been decided to make following changes in the scheme:-

(i) The Advance Reservation Period (ARP) of Tatkal scheme should be reduced from two days at present to one day excluding the day of journey from the train originating station. For example, if train is to depart from the originating station on the second of the month, the Tatkal quota for that particular train shall open at 0800 hours on the first of the month.

(ii) No refund will be granted on cancellation of confirmed Tatkal tickets except in case of circumstances mentioned in para 2 of instructions contained in Commercial Circular no. 53 of 2006 issued vide letter no. 2006/TGI-I/20/P/Tatkal, dated 30.06.2006.

(iii) No duplicate Tatkal tickets shall be issued. Duplicate Tatkal tickets shall be issued only in exceptional cases on payment of full fare including Tatkal charges.

(iv) Tatkal tickets shall be issued only on production of one of the eight prescribed proofs of identity (as mentioned in Commercial Circular No. 5 of 2011 issued vide letter No.2010/TG.I/20/P/Tatkal dated 28.01.2011) as per procedure explained below:-

   a. For this purpose, a self attested photo copy of the proof of identity of any one passenger shall be attached to the requisition slip.

   b. The details of the identity proof shall be captured by the system and indicated on the reserved tickets as well on the reservation chart.

   c. It will not be mandatory for the passenger(s) to go to the counter to book the Tatkal ticket, however, the proof will have to be sent in the aforementioned manner.

   d. During the journey, the passenger, whose identity card number has been indicated on the ticket, will have to produce original proof of

-2/-

identity indicated on the ticket, failing which all the passengers booked on the ticket shall be treated as travelling without ticket and charged accordingly. Indication will come on the ticket regarding carrying the same original proof of identity during the journey, as indicated on the ticket.

e. If the passenger whose identity card number is indicated on the ticket is not travelling, all other passengers booked on that ticket, if found travelling in train, will be treated as travelling without ticket and charged accordingly.

f. CRIS may explore the feasibility of storing the number of proof of identity in case of more than one passenger, whose indication can be made on the ticket as well on the reservation chart. If such provision is made any one of the passengers whose proof of identity have been indicated can produce the original proof as indicated on the ticket as well as reservation chart. In such cases, in case of non-travelling of the one of the passengers whose proof of identity has been indicated, other passenger(s) will be able to undertake the journey on production of original proof of identity by the other passenger(s) whose proof of identity has been indicated on the ticket as well on the reservation chart.

(v) Agents / RTSAs shall be restricted from the booking Tatkal tickets at the counters between 0800 hours and 1000 hours. This restriction shall be enforced through frequent inspection at the counters. The agents both web service agents and web agents shall also be restricted from booking Tatkal tickets on the internet between 0800 hours and 1000 hours.

(vi) Even for internet booking for Tatkal tickets, the passenger shall enter the identity proof type and number, which is to be used for travel. These details shall be printed on the ERS/indicated on the MRM/VRM as well as in the reservation chart.

(vii) It will be possible to book a maximum of only four passengers per PNR for Tatkal tickets.

(viii) The web services agents of IRCTC will be permitted to book only one Tatkal ticket per train per day on the internet.

(ix) CRIS & IRCTC will make necessary changes in the software **latest by 21.11.2011** and will advise the date of effect to all Zonal Railways

DA: As above.

11/11/11

(V.K.Sharma)
Director Traffic Commercial (G)-II
Railway Board

– 3/–

Copy to:

1. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
2. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
3. MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
4. EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway/Bhusaval, Eastern Railway Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
7. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
8. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
9. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.365-A, Rail Bhawan, New Delhi.
10. Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, All India RPF Association, Room No.549, Rail Bhawan, New Delhi.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2011/टीजी-I/20/पी/तत्काल नई दिल्ली, दिनांक: 5-1-2012

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।
(मेट्रो रेल, कोलकाता सहित)

(2011 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 59)

विषयः तत्काल योजना में संशोधन।

आरक्षण के लिए तत्काल योजना की समीक्षा की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि इस योजना में निम्नलिखित बदलाव किए जाए:-

(i) तत्काल योजना की अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) को गाड़ी के प्रारंभिक स्टेशन से यात्रा की तारीख को छोड़कर मौजूदा दो दिन से घटाकर एक दिन किया जाए। उदाहरण के लिए यदि गाड़ी महीने की दूसरी तारीख को प्रारंभिक स्टेशन से चलती है तो उस विशिष्ट गाड़ी के लिए तत्काल कोटा महीने की पहली तारीख को 08.00 बजे से शुरू होगा।

(ii) दिनांक 30.06.2006 के पत्र सं.2006/टीजी-I/20/पी/तत्काल के तहत जारी 2006 के वाणिज्यिक परिपत्र सं.53 में अंतर्विष्ट अनुदेशों के पैरा 2 में उल्लिखित परिस्थितियों के मामलों को छोड़कर पुष्टिशुदा तत्काल टिकटों को रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।

(iii) कोई डुप्लीकेट तत्काल टिकट जारी नहीं की जाएगी। केवल आपवादिक स्थितियों में तत्काल प्रभारों सहित पूरे किराए का भुगतान करने पर डुप्लीकेट तत्काल टिकट जारी की जाएगी।

(iv) तत्काल टिकटें नीचे लिखी गई कार्यविधि के अनुसार निम्नलिखित आठ पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र (बोर्ड के दिनांक 28.01.2011 के पत्र सं.2010/टीजी-I/20/पी/तत्काल के तहत जारी 2011 के वाणिज्यिक परिपत्र सं.5 में यथाउल्लिखित) प्रस्तुत करने पर ही जारी की जाएंगी।

-2/-

क. इसके लिए मांग पर्ची के साथ किसी भी एक यात्री के पहचान प्रमाण पत्र की एक स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।

ख. पहचान प्रमाण पत्र के ब्यौरे को सिस्टम में दर्ज किया जाएगा और इसका उल्लेख आरक्षित टिकटों और आरक्षण चार्ट पर भी किया जाएगा।

ग. तत्काल टिकट बुक करने के लिए यात्री (यात्रियों) का काउंटर पर जाना आवश्यक नहीं होगा, बहरहाल, प्रमाण को ऊपर उल्लिखित तरीके से भेजा जाना होगा।

घ. यात्रा के दौरान, जिस यात्री का पहचान पत्र संख्या टिकट पर दिया गया है, उस यात्री को टिकट पर उल्लिखित पहचान पत्र की मूल प्रति दिखानी होगी, जिसको न दिखाने पर उस टिकट पर बुक किए गए सभी यात्री बिना टिकट यात्री माने जाएंगे और तदनुसार उनसे प्रभार वसूल किया जाएगा। टिकट पर उल्लिखित पहचान पत्र की मूल प्रति यात्रा के दौरान साथ रखे जाने का उल्लेख टिकट पर किया जाएगा।

ङ यदि वह यात्री, जिसका पहचान पत्र संख्या टिकट पर उल्लिखित किया गया है, यात्रा नहीं कर रहा है तो उस टिकट पर बुक किए गए सभी यात्री, यदि रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए पाए गए, तो वे सभी बिना टिकट यात्री माने जाएंगे और तदनुसार उनसे प्रभार वसूल किया जाएगा।

च. एक से अधिक यात्रियों के मामले में क्रिस उनके पहचान प्रमाण पत्र की संख्या को स्टोर करने की व्यवहार्यता की जांच कर सकता है जिनका उल्लेख आरक्षण चार्ट के साथ-साथ टिकट पर भी किया जा सकता है, यदि ऐसा प्रावधान किया जाता है तो कोई भी यात्री, जिनका पहचान प्रमाण पत्र टिकट पर प्रदर्शित किया गया है, वह आरक्षण चार्ट के साथ-साथ टिकट पर दिए गए पहचान प्रमाण पत्र की मूल प्रति को दिखा सकता है। ऐसे मामलों में, एक ऐसे यात्री के यात्रा न करने के मामले में, जिसका पहचान प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य यात्री, जिसका जिनके पहचान प्रमाण पत्र का उल्लेख, आरक्षण चार्ट के साथ-साथ टिकट पर है, पहचान प्रमाण पत्र की मूल प्रति को दिखाकर यात्रा कर सकते हैं।

(v) एजेंटों/आरटीएसए के लिए 08.00 बजे से 10.00 बजे के बीच काउंटरों पर तत्काल टिकटों की बुकिंग के लिए प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध काउंटरों पर लगातार निरीक्षणों के माध्यम से लागू किया जाएगा। वेब सर्विस एजेंट और वेब

-3/-

एजेंट, दोनों प्रकार के एजेंटों के लिए भी 08.00 बजे से 10.00 बजे के बीच इंटरनेट पर तत्काल टिकटों की बुकिंग के लिए प्रतिबंध रहेगा।

(vi) तत्काल टिकटों की इंटरनेट पर बुकिंग के लिए भी यात्री को पहचान प्रमाण पत्र का प्रकार और उसका नंबर दर्ज करना होगा, जिसका यात्रा के लिए उपयोग किया जाएगा। इन ब्यौरों को आरक्षण चार्ट के साथ-साथ ईआरएस पर प्रिंट किया जाएगा अथवा एमआरएम/वीआरएम पर उल्लेख किया जाएगा।

(vii) तत्काल टिकटों के लिए एक पीएनआर पर अधिकतम केवल चार यात्रियों की ही बुकिंग होगी।

(viii) आईआरसीटीसी के वेब सर्विस एजेंटों को इंटरनेट पर एक दिन में एक गाड़ी में एक तत्काल टिकट बुक करने की ही अनुमति होगी।

(ix) क्रिस और आईआरसीटीसी इस संबंध में सॉफ्टवेयर में **21.11.2011 तक** आवश्यक परिवर्तन करेंगे और सभी ज़ोनल रेलों को इसके लागू होने की सूचना देंगे।

संलग्नक: यथोक्त।

(वी.के. शर्मा)
निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)-II
रेलवे बोर्ड

TRAFFIC-TO-I